ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 17.02.2024 का कार्यवृत्त

समयः– 05:00 बजे अपराह्न
माध्यम – ऑफलाईन एवं ऑनलाईन।
उपस्थितिः–

1.	प्रो0 संजय कुमार चौधरी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
3.	प्रो0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
4.	प्रो0 विजय कुमार यादव	–	सदस्य
5.	डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	प्रो0 अशोक कुमार मेहता	–	सदस्य
7.	डॉ0 विजय कुमार मिश्रा, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
8.	डॉ0 रूपकला सिन्हा, प्रधानाचार्य	–	सदस्य
9.	प्रो0 शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
10.	डॉ0 नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष	–	सदस्य
11.	डॉ0 अमर कुमार	–	सदस्य
12.	डॉ0 इम्बेशात शौकत	–	सदस्य
13.	श्री सुजीत पासवान	–	सदस्य
14.	डॉ0 हरिनारायण सिंह	–	सदस्य
15.	श्री राजन कुमार सिन्हा	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	डॉ0 दिलीप कुमार, वितीय परामर्शी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	डॉ0 अजय कुमार पंडित, कुलसचिव	–	सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गणापूर्ति की सूचना कुलसचिव से मांगी गई। कुलसचिव ने सूचित किया कि आज की बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी हो चुकी है, इसलिये माननीय अध्यक्ष से अनुरोध है कि कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति दी जाय। कुलपति–सह–अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कुलसचिव–सह–सचिव सभी आगत सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय का परिचय पुनः सदन से कराते हुए माननीय सदस्यों में जिनकी पिछली बैठक में सहभागिता नहीं हई थी उनसे व्यक्तिगत परिचय दिये जाने का अनुरोध किया। सदस्यों के परिचय दिये जाने के पश्चात् डॉ0 बैद्यनाथ चौधरी, ने माननीय अध्यक्ष महोदय के योगदान के अल्पकाल में ही अधिनियम/परिनियम समिति की नियमीत बैठकों का आयोजन, शिक्षक/शिक्षकेत्तेर कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि/ प्रोन्नति की समस्याओं का तत्परता से कार्य निष्पादन, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के कर्मीयों के भुगतान तथा नामांकन जल्द प्रारंभ हेतु सकारात्मक पहल किये जाने के लिए समस्त अभिषद् एवं मिथिला की ओर से माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय को धन्यवाद दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय को सभी सकारात्मक पहल का सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। तदुपरान्त बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जायः–

Scanned with OKEN Scanner

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.06.2023 एवं 01.02.2024 के कार्यवृत्तों के सम्पुष्टि पर विचार।

निर्णयः अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.06.2023 के मद सं0 2 के अंतर्गत दिनांक 29.05.2023 अन्यान्य मद सं0 5 में चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा के अनुमोदित विषयों की अधिसूचना निर्गत किये जाने। मद सं0 4 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन की प्रक्रिया में समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय परामर्शी को अधिकृत किया गया। अन्यान्य मद सं0 1 वित्त समिति की बैठक दिनांक 20.03.2023 के मद सं0 2 में पुस्तकालय स्वचालन की व्यवस्था में निर्णय के लिए माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया। मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों को 7 रूपये प्रति छात्र तथा सी0एस0 को 400 रूपये प्रति पाली की अधिसूचना निर्गत की जाय। अन्यान्य मद सं0 9 में आगे से नियमानुकूल भूगतान को सुनिश्चित करने हेतु कहा गया तथा अतिरिक्त भूगतान से संबंधित मामले को सी0 सी0 डी0 सी0 एवं कुलानुशासक को देखे जाने के लिए निर्देशित किया गया। उपरोक्त संशोधनों कें साथ कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया। अभिषद् की गत बैठक दिनांक 01.02.2024 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया। अधिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 27.02.2024 की स्थगन की सूचना से सदन को अवगत कराया गया। सदन में सूचना ग्रहण किया गया। आगामी अधिषद की बैठक की तिथि का निर्धारण एवं सभी प्रक्रिया जारी रखे जाने हेतु आवश्यक निर्णय लिये जाने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद सं0 2. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 15.06.2023 और 01.02.2024 के अनुपालन–प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः गत बैठक दिनांक 15.06.2023 और 01.02.2024 के अनुपालन–प्रतिवेदन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

मद सं0 3. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में कार्यरत शिक्षा–कर्मियों के तीन माह के वेतनादि/मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति एवं आगे से नियमित वेतनादि/मानदेय भुगतान किये जाने पर विचार।

निर्णयः तीन माह के वेतनादि/मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया। आगे से नियमित वेतनादि/मानदेय भुगतान किये जाने तथा कर्मियों के वहाँ कार्य नहीं रहने की स्थिति में विश्वविद्यालयों के संबंधित विभागों/प्रभागों में आवश्यकता अनुरूप कार्य लिये जाने के लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, की एडवाइजरी कमिटि के द्वारा प्रस्ताव बना कर पूर्व में गठित पाँच सदस्यीय कमिटि जो विश्वविद्यालय के ज्ञापांक– **C/R/2336-45/24 Dated- 07.02.2024** के समक्ष प्रस्तुत किया जाय जिसके लिए अभिषद् के सदस्यों के द्वारा सहमति दी गई। साथ ही वित्तीय परामर्शी डॉ0 दिलीप कुमार को अधिकृत किया गया कि वो बेगूसराय सांसद से समन्वय करेंगे एवं समन्वय स्थापित करके प्राप्त नैक ग्रेडिंग के आधार पर विश्वविद्यालय अपना किस तरह से पक्ष रखे कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को पुनः चालू किया जा सके।

मद सं0 4. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 12.07.2023 के कार्यवृत्तों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः सर्वसम्मति से परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 12.07.2023 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। इसी क्रम में डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी ने प्रधानाचार्यो को परीक्षा/परीक्षा विभाग से संबंधित देयक का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उसे ससमय भुगतान करने का अनुरोध किया। साथ ही डॉ0 हरि नारायण सिंह द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि संबद्ध महाविद्यालय में जितने भी नामांकन होते हैं उस नामांकन से कॉलेज के हिस्से की राशि महाविद्यालय को वापस नहीं किया जा रहा है तो इस संदर्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गयेः–

1. वित्त पदाधिकारी – सदस्य
2. डॉ0 अमर कुमार – सदस्य
3. अध्यक्ष, छात्र कल्याण पदाधिकारी – समन्वयक

समिति द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की जाँच वित्तीय परामर्शी द्वारा किया जायेगा।

मद सं0 5. वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रस्तावित बजट पर विचार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः प्रस्तावित आय–व्यायक वित्तीय वर्ष 2024–25 पर विचार किया गया विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि बजट एट–ए ग्लांस का समीक्षा किया जाय। इसी क्रम में वित्तीय परामर्शी के द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्य सरकार को पूर्व में एक संभावित बजट भेजा जा चुका है इस पर सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुनः जब अंतिम बजट बनेगा तो उसकी प्रति राज्य सरकार को भेज दी जाऐगी। अंतिम रूप से अनुमोदित बजट में मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र एवं खेल शिक्षा निदेशालय तथा अन्य आवश्यकता अनुरूप बजट को सुव्यवस्थित रूप में किये जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गयेः–

1. प्रो0 अजय नाथ झा – समन्वयक
2. डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी – सदस्य
3. डॉ0 अशोक कुमार मेहता – सदस्य

मद सं0 6. विश्वविद्यालय मुख्यालय में संविदा के आधार पर श्री गणेश कुमार पासवान, सॉफ्टवेयर अभियंता, श्री एस0टी0 हसन, हार्डवेयर अभियंता, श्री मुकुन्द माधव सॉफ्टवेयर अभियंता तथा मो0 हसनैन, गाड़ी चालक (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति की गई है। इनकी नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक जाँच समिति गठित की गई थी। वित्तीय परामर्शी का मंतव्य पृष्ठ एवं तदर्थ गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में न्यायोचित निर्णयार्थ अभिषद् के समक्ष यथोचित विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णयः विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगे से सेवा–विस्तार की प्रक्रिया सेवा समाप्ति से 9वें महिने में ही अग्रसारित कर दी जाय। साथ ही संविदा पर कार्यरत कर्मी स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत है कि नहीं के नियमानुकूल प्रक्रिया को देखे जाने के संबंध में एक समिति गठन करने का भी निर्णय लिया गया। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गयेः–

1. वित्तीय परामर्शी – समन्वयक
2. वित्तीय पदाधिकारी – सदस्य
3. डॉ0 अमर कुमार – सदस्य

साथ ही आउटसोर्स कम्पनी के नवीनीकरण एवं संबंधित विषयों के नियमानुकूल समाधान हेतु छः सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गयेः–

1. वित्तीय परामर्शी – समन्वयक
2. डॉ0 दिलीप कुमार चौधरी – सदस्य
3. प्रो0 अजय नाथ झा – सदस्य
4. प्रो0 अशोक कुमार मेहता – सदस्य
5. श्री सुजीत पासवान – सदस्य
6. डॉ0 अमर कुमार – सदस्य

उक्त समिति विश्वविद्यालय प्रधिकार शाखा के अधीन कार्य निष्पादन करेगी।

मद सं0 7. डॉ0 सिमान्त कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राचार्य, विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र विभाग को 04.08.2023 से 03.08.2024 तक स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त, डॉ0 सिमान्त कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राचार्य, विश्वविद्यालय रसायनशास्त्र विभाग को 04.08.2023 से 03.08.2024 तक स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं0 8. श्री अभिलाष कुमार, सहायक प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी को 27.06.2023 से 26.06.2024 तक स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त, श्री अभिलाष कुमार, सहायक प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, आर0के0 कॉलेज, मधुबनी को 27.06.2023 से 26.06.2024 तक स्वीकृत

Scanned with OKEN Scanner

ग्रहणाधिकार–सह– असाधारण अवैतनिक अवकाश की अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई

मद सं0 9. डॉ0 विनीत श्रीवास्तव, सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, के0एस0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा को अभिषद से अनुमोदन के प्रत्याशा में महाविद्यालय द्वारा विरमित की तिथि से दो वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, डॉ0 विनीत श्रीवास्तव, सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, के0एस0 कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा को अभिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में महाविद्यालय द्वारा विरमित की तिथि से दो वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 10. श्रीमती मीनू कुमारी, सहायक प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा को दिनांक 21.11.2022 से बिना सूचना के अनुपस्थिति रहने तथा तीन–कारण–पृच्छा एवं अंतिम निदेश पत्र का जबाव नहीं देने के कारण सेवा समाप्ति पर विचार हेतु मामला अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, प्रस्ताव को तत्काल स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगे प्रस्ताव उपस्थित होने पर नियमानुकूल विचार किया जायेगा एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन पुनः करने आयेंगी तब तदुपरान्त उनके पद ग्रहण के समय राजभवन से दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।**

मद सं0 11. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा ए0आई0एच0 एवं सी0 विषय में सहायक, प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/277/23 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा की गयी नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा ए0आई0एच0 एवं सी0 विषय में सहायक, प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/277/23 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा की गयी नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 12. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/276/23 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा स्व0 जयेन्द्र प्रसाद शाही, पूर्व व्याख्याता, जन्तुविज्ञान विभाग, जी0डी0 कॉलेज, बेगूसराय को दी गयी प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/276/23 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा स्व0 जयेन्द्र प्रसाद शाही, पूर्व व्याख्याता, जन्तुविज्ञान विभाग, जी0डी0 कॉलेज, बेगूसराय को दी गयी प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 13. श्रीमती जीनत फातिमा, सेवानिवृत एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा द्वारा चिकित्सीय कारणों से अनुपस्थिति अवधि को असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्रीमती जीनत फातिमा, सेवानिवृत एसोसिएट प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, सी0एम0 कॉलेज, दरभंगा द्वारा चिकित्सीय कारणों से अनुपस्थिति अवधि को असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 14. श्रीमति सोनी सलोनी, सहायक प्राचार्य (वरीय वेतनमान) हिन्दी विभाग, वीमेन्स कॉलेज, समस्तीपुर के अनुपस्थित अवधि 1942 दिनों से विभिन्न देय अवकाशों 492 दिनों का

Scanned with OKEN Scanner

सामंजन करते हुए शेष 1450 दिनों का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृति पर विचार हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी बंधेज पत्र प्राप्त कर नियम–परिनियम के अनुरूप नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद सं0 15. डॉ0 रामा शंकर, सहायक प्राचार्य, विधि विभाग, सी0एम0 विधि महाविद्यालय, दरभंगा को विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/DR-II/1526-32/23 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, डॉ0 रामा शंकर, सहायक प्राचार्य, विधि विभाग, सी0एम0 विधि महाविद्यालय, दरभंगा को विश्वविद्यालय ज्ञापांक C/DR-II/1526-32/23 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा स्वीकृत ग्रहणाधिकार–सह–असाधारण अवैतनिक अवकाश विरमित की तिथि से अर्थात् दिनांक 21.09.2023 से दो वर्ष के लिए घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 16. डॉ0 रंजना सिंह, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, के0एस0 महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, डॉ0 रंजना सिंह, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, के0एस0 महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश अर्थात दिनांक 03.01.2024 से 10.05.2024 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 17. डॉ0 अशोक कुमार झा, उपाचार्य रसायनशास्त्र विभाग की अनुपस्थित अवधि 09.02.2016 से 27.04.2017 तक पर दिनांक 15.06.2023 के अभिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार तथ्यात्मक विवरणी के साथ पुनः अभिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि उक्त मामले को देखे जाने हेतु वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी को अधिकृत किया गया कि सामान मामले में यदि भुगतान हुई है तो भुगतान किया जाय।**

मद सं0 18. डॉ0 मधुलिका मिश्रा, सहायक प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, वीमेंन्स कॉलेज, समस्तीपुर को 01.07.2023 से 30.06.2024 तक एक वर्ष का स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृत पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, डॉ0 मधुलिका मिश्रा, सहायक प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, वीमेंन्स कॉलेज, समस्तीपुर को 01.07.2023 से 30.06.2024 तक एक वर्ष का स्वीकृत असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

मद सं0 19. श्री रवि प्रकाश, सहायक प्राचार्य, भूगोल विभाग, आर0बी0एस0 कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को शोध कार्य पूरा करने हेतु अध्ययनावकाश समिति की बैठक दिनांक 26.06.2023 का कार्यवृत्त मद संख्या 02 में लिए गये निर्णय के आलोक में स्वीकृत अध्ययनावकाश एवं कोर्स वर्क के लिए पूर्व में स्वीकृत छः माह का अर्द्धवेतन पर स्वीकृत अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्री रवि प्रकाश, सहायक प्राचार्य, भूगोल विभाग, आर0बी0एस0 कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को शोध कार्य पूरा करने हेतु अध्ययनावकाश समिति की बैठक दिनांक 26.06.2023 के कार्यवृत्त मद संख्या 02 में लिए गये निर्णय के आलोक में स्वीकृत अध्ययनावकाश एवं कोर्स वर्क के लिए पूर्व में स्वीकृत छः माह का अर्द्धवेतन पर स्वीकृत अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।**

Scanned with OKEN Scanner

अतिरिक्त मद. 1:	प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.11.2023 के मद संख्या 01 में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सीताराम चौधरी, से०नि० आदेशपाल, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा की नियुक्ति/प्रोन्नति की सम्पुष्टि पर विचार।
निणयः	विचारोपरान्त, श्री सीताराम चौधरी, से०नि० आदेशपाल, एम०एल०एस०एम० कॉलेज, दरभंगा को प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.11.2023 के मद संख्या 01 में लिये गये निर्णय के आलोक में की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति को अनुमोदित किया गया।
अतिरिक्त मद. 2:	समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद् को यू०जी०सी० 2(f) & 12(B) से पंजीकृत अंगीभूत एवं संबंद्ध महाविद्यालयों में विकास समिति की बैठक में अनिवार्य उपस्थिति पर विचार।
निणयः	विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि विकास समिति की बैठक वर्ष में दो बार प्रति छमाही एक बैठक का आयोजन किया जाय तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976–32/82–716 खण्ड - II के अन्तर्गत महाविद्यालयों में सम्यक कार्य योजना तथा एकीकृत विकास को सुनिश्चित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अभियंता एवं समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद् ही विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालय के विकास समिति की बैठकों में सम्मिलित होगें। साथ ही निर्णय लिया गया कि समन्वयक, महाविद्यालय विकास परिषद को एकीकृत विकास प्रस्ताव दिये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अभियंता अनिवार्य रूप से बैठकों में सम्मिलित होगें। यह भी निर्णय लिया गया कि विकास समिति की बैठक के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रधानाचार्य को समन्वयक महा० वि० परिषद् के माध्यम से विश्वविद्यालय से बैठक के पन्द्रह दिन पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
अन्यान्य मद 1:	विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों तथा संलग्न कार्यालयों के वित्तीय डाटा संधारण किये जाने पर विचार।
निर्णयः	सर्वसम्मति से उपरोक्त सभी संस्थानों को रोकड़ बही, अग्रिम पंजी, उपयोगिता प्रमाण पत्र सनदी लेखाकार से प्रमाणित वार्षिक अंकेक्षण प्रमाण पत्र एंव अन्य आवश्यक वित्तीय डाटा का अद्यतन संधारण अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्णय लिया गया।
अन्यान्य मद 2:	विश्वविद्यालय के अधीन खेल शिक्षा निदेशालय (Directroate of Sports Education) के निर्माण एवं संचालन पर विचार।
निर्णयः	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत खेल शिक्षा निदेशालय **(Directroate of Sports Education)** की स्थापना किया जाय तथा इसका संचालन पी०पी०टी० मोड में किया जाय। इसकी संरचना तैयार किये जाने तथा संचालन एवं प्रबंध हेतु एक समिति गठन करने का भी निर्णय लिया गया। जिसमें निम्न सदस्य नामित किए गयेः–

1. प्रो० अजय नाथ झा – संयोजक
2. डॉ० सरोज राय – सदस्य
3. डॉ० नील कमल – सदस्य
4. वित्तीय परामर्शी – सलाहकार

अन्यान्य मद 3:	अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर विचार।
निर्णयः	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रिया किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। बॉटनी विषय में

Scanned with OKEN Scanner

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के अनुरूप ही कार्य किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

अन्यान्य मद 4: डॉ० दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि प्रोन्नति के सभी पक्षों को देखे जाने का आग्रह किया।

निर्णयः **निर्णय लिया गया कि सभी आवश्यक पक्षों को देख कर ही प्रोन्नति दी जायेगी।**

बैठक के अन्त में कुलानुशाक द्वारा अभिषद् की प्रस्तावित बैठक दिनांक 19.02.2024 को स्थगित करने की सूचना दी गयी। जिस पर सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव–सह–सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का उनकी सहभागिता, चर्चा–परिचर्चा एवं सुझाव के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0/–
(प्रो0 संजय कुमार चौधरी)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ह0/–
(डॉ0 अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव–सह–सचिव

ज्ञापांकः– UB-727/24 दिनांकः– 17/02/2024

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. **सचिव, उच्च शिक्षा,** बिहार, पटना;
3. **निदेशक, उच्च शिक्षा,** बिहार, पटना;
4. **उप–सचिव,** राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना;
5. **सभी पदाधिकारी,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट),** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. **कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक,** ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

17/02/2024
कुलसचिव

17/02/2024

Scanned with OKEN Scanner